न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
श्री नेमीचन्द पुत्र श्री रामा, जाति कलबी, निवासी खडात तहसील आबूरोड		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा_136 भू राजस्व अधिनियम, एवं धारा 151 सीपीसी

राजस्व वाद संख्या 37/2019

दिनांक30–09–2020

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा_यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा_136 भू राजस्व अधिनियम, एवं धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि :–

मौजा ग्राम खडात पटवार हल्का खडात तहसील आबूरोड में प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि पद संख्या A,B,C में वर्णितानुसार निम्न स्थित है।

A खसरा संख्या	क्षेत्रफल बीघा–बिस्वा
187/3	02–12
191/4	01–05
196/3	00–03
कुल किता–03	कुल रकबा–04–00

उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में तत्कालीन राजस्व अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा भूलवश प्रार्थी का नाम खीमा पुत्र रामा कलबी गलत रूप से दर्ज कर दिया है, उसके स्थान पर प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम नेमीचन्द्र पुत्र रामा कलबी दर्ज किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

B खसरा संख्या	क्षेत्रफल बीघा–बिस्वा
274	05–02
कुल किता–01	कुल रकबा–05–02

उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में तत्कालीन राजस्व अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा भूलवश प्रार्थी का नाम खीमा पुत्र रामा कलबी गलत रूप से दर्ज कर दिया है, उसके स्थान पर प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम नेमीचन्द्र पुत्र रामा कलबी दर्ज किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

C खसरा संख्या	क्षेत्रफल बीघा–बिस्वा
192	00–18
कुल किता–01	कुल रकबा–00–18

उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में तत्कालीन राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भूलवंश प्रार्थी का नाम खीमा पुत्र रामा कलबी गलत रूप से दर्ज कर दिया है, उसके स्थान पर प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम नेमीचन्द्र पुत्र रामा कलबी दर्ज किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जो तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थी संख्या एक ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा खडात के खसरा नंबर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी अनुसार 187/3, 196/3, 274, 192 मे हिस्सा खीमा पुत्र रामा जाति कलबी निवासी खडात दर्ज है।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार मौजा खडात के खसरा नंबर 187/3, 1[illegible] एवं खसरा नंबर 274 तथा खसरा नंबर 192 के राजस्व रेकर्ड मे प्रा[illegible] "खीमा पुत्र रामा कलबी" दर्ज है। प्रार्थी खीमा पुत्र रामा कलबी के स्थान पर [illegible] रामा कलबी" करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्तानुसार संशोधन हेतु कोई [illegible] प्रस्तुत नहीं किया है।

–2

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.10.05 16:31:11 IST
Reason: SelfAttested

धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत केवल लिपिकीय अशुद्धि को ही शुद्ध किया जा सकता है। जबकि प्रार्थी द्वारा **खीमा** के स्थान पर **नेमीचन्द** नाम दर्ज करवाना चाह रहा है। जो लिपिकीय अशुद्धि के अन्तर्गत नहीं आने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30-09-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ गौरव सैनी) I.A.S.
सहायक कलक्टर आबूपर्वत

न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.10.05 16:31:11 IST
Reason: SelfAttested